बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना, दिनांक.........................

पत्रांक........................./
डी0एफ0पी0/एफ01-08/2014

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु ₹25.00 (पच्चीस) करोड़ मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या 965 दिनांक 25.09.2014 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के भुगतान हेतु ₹25.00 (पच्चीस) करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की परियोजनाओं के कन्सेप्चुलाईजेशन से लेकर कमीशनिंग तक का कार्य एम0ओ0ए0 के तहत् किया जाना है। यथा जागरूक उद्यमी की पहचान, स्थल चयन, एस0पी0भी0 का गठन एवं चयन, तकनीक क्र स्रोत, बाजार लिंकेज, डी0पी0आर0 तैयार कराना, योजना स्वीकृत कराना, अनुदान उपलब्ध कराना तथा सरकार को योजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु आवश्कता आधारित परामर्श देना है। इस कार्य हेतु पी0एम0ए0 को परियोजना लागत का एक प्रतिशत शुल्क के रूप में तथा शेष एक प्रतिशत का भुगतान सफलता शुल्क के रूप में परियोजना के पूरी होने पर किया जाना है।

3. कार्य की महत्ता एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया के त्वरित निष्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पी0एम0ए0 के रूप में आई0एल0 एण्ड एफ0एस0-सी0डी0आई0 लिमिटेड, दाराशॉ एण्ड कम्पनी लिमिटेड-सुमन प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, एस पी ए कैपिटल - हेबे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा0 लि0 एवं एस आर ई आई एण्ड एफ0जी0ए0पी0एल0 को पी0 एम0 ए0 के रूप में नामित किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्गत आदेश के विरूद्ध अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी/संस्थान/संस्था को भी संभाव्यता प्रतिवेदन/सर्वेक्षण/अध्ययन मोबिलाईजेशन, सफलता एवं अनुश्रवण शुल्क के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5. संबंधित संस्थान/पी0एम0ए0/अभिकरण/संस्था के द्वारा प्रस्तुत विपत्र के दावों का भुगतान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश के पश्चात् ही विपत्र की राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि का भुगतान वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4308(वि0)2, दिनांक 22.06.2007 एवं 119(वि0)2, दिनांक 04.01.2008 में निहित प्रावधान तथा राज्य सरकार एवं पी0एम0ए0 के साथ हस्ताक्षरित मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (MOA) के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

7. राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या-23, उप शीर्ष 0142-प्रोजेक्ट एवं फिजीविलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य, विपत्र कोड P2852801020142, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5570, विषय शीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेगें। संबंधित एजेन्सी/अभिकरण/संस्थान/संस्था को अनुमान्य राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

9. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होगें। जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगें।

D:drive_food pro-Sanction Order/2015-16----------4

क्रमशः पृष्ट-02 पर.....

10. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0, दिनांक–20.05.14 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

11. योजना का कोड नं0–IND-5570 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में योजना कोड अवश्य अंकित करेंगे।

12. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.02.2016 के मद संख्या–01, में स्वीकृति संचिका संख्या–डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014 के पृष्ट–59/टि0 पर प्राप्त है।

13. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014 के पृष्ट–62/टि0 पर दिनांक 10.02.16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–31/OSD, दिनांक 09.02.16 है।

14. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्त विभागीय पत्रांकः–2561/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../
डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../
डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../
डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.– निदेशक (खा0 प्र0), निदेशक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 180 /
डी0एफ0पी0/एफ01–08/2014
पटना, दिनांक 2/3/16

प्रतिलिपि–, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक (तकनिकी विकास निदेशालय), बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0), को तीन प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।